ISSN 2231-1629
Knowledge Resonance

**IMPACT FACTOR 8.072**
July-December 2024- Vol. 13 No. 2

# रीवा राज्य के बघेल राजाओं की आर्थिक नीतियों को ऐतिहासिक अध्ययन

**डॉ.संतोष कुमार दुबे**
*असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*
*शा.महा.विद्यालय बरगवां, सिंगरौली (म.प्र.)*

***परिचय एवं शोध कार्य का उद्देश्यः-***

*भारत का इतिहास अत्यन्त प्राचीन एवं गौरवपूर्ण रहा है। इतिहास का बहुत सा भाग आज भी गुमनामी के अंधेरे में है। शोध के बिना अतीत की सभी कड़ियों को एक वृहद माला में पिरोना संभव नहीं है। रीवा राज्य का इतिहास भी प्रायः सात शताब्दियों से फैले हुए इस कालखण्ड में अनेकानेक युगान्तकारी घटनाएँ घटित हुई और वक्त का गुजरता हुआ कारवाँ इतिहास के धरातल पर पद चिन्ह छोडता गया। इन ऐतिहासिक परिवर्तनों के बीच राज्य की अर्थव्यवस्था अत्यंत संवेदनशील थी। रीवा राज्य के समग्र इतिहास पर तो अनेकों–अनेक शोध होने के बाद भी रीवा राज्य की अर्थव्यवस्था पर शोध कार्य शून्य है । जबकि किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन उसकी सुदृढता विकास एवं जनहितकारी कार्यों के लिये आवश्यक है। किसी भी राज्य में अर्थव्यवस्था के सम्पूर्ण अध्ययन के बिना राज्य के राजाओं की आर्थिक नीति का अध्ययन संभव नहीं है।*

बघेल राज्य में कृषि एवं पशुपालन आर्थिक नीतियों का मुख्य स्रोत था जिस पर समाज की अधिकांश जनसंख्या अपना जीवन निर्वाह करती थी। व्यवसायिक जातियाँ अपने लघु उद्योग-धन्धों पर जीवन निर्वाह करती थीं। कृषकों से लगान लेकर जीवन निर्वाह करने वाले भूमि स्वामी भी पर्याप्त संख्या में थे। समाज के विभिन्न वर्गों एवं जातियों का रहन-सहन उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता था। उस समय के लोग व्यवसाय एवं वाणिज्य का कार्य भी किया करते थे। वैश्यों में लमाना व्यापारी भी होते थे जो पशुओं पर व्यापारिक माल लादकर इस क्षेत्र में घूम-घूमकर व्यापार करते थे। वे जहाँ भी जाते उपयुक्त स्थान पर अपनी मण्डी लगा लेते थे तथा सामान का क्रय विक्रय करते थे। वस्तु एवं मुद्रा विनिमय दोनों का प्रचलन उस काल में था। लमाना व्यापारी अपने साथ अधिक धन लेकर न चलते थे क्योंकि मार्ग में चोर और डॉकुओं का भय रहता था। परम्परा से पता चलता है कि अधिक धन होने पर कहीं मंदिरों में गाड़ दिया जाता था। 1 रीवा राज्य का अर्थ मूलतः भूमि पर आधारित था। रीवा राज्य की भूमि सामान्यतः कोठार एवं पवाई में बँटी हुई थी। कोठार की भूमि राज दरबार से सीधे संबंधित थी और पवाई भूमि राज दरबार द्वारा समय-समय पर पबाईदारों को दी गयी थी। पृवाई का मतलब कोई गाँव या गॉव का भाग, जमीन या जागीर, पाट या सनद जो दरबार से मिली हो या जिसे दरबार स्वीकार करता हो अथवा पैपखार जागीर, वृत्त, सेवावृत्त, मुडवार, सोवा मुडवार, देवार्थ, जमीदारी या अन्य किसी भी प्रकार की पवाई जो महाराजा द्वारा पाट या सनद के रूप में दी गई हो। पवाई कहलाती है।

रीवा दरबार तथा ब्रिटिश शासन तंत्र के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना से राज्य के आन्तरिक प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हुआ। राज्य के पवाईदार तथा इलाकेदार अब स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे। रीवा राज्य व ब्रिटिश - शासन तंत्र से संबंध 1812 ई० की सन्धि से शुरू हुआ। यह काल महाराजा जयसिंह का था और शासन की देखरेख युवराज विश्वनाथ सिंह करते थे। महाराजा विश्वनाथ सिंह के काल तक स्थिति किसी प्रकार चलती रही। विश्वनाथ सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा रघुराज सिंह के समय 1857 ई० का विद्रोह घटित हुआ। रघुराज सिंह अन्दर से कुछ भी रहे हों, पर बाहर से उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और बघेलखण्ड में फूटे इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का पूरा-पूरा साथ् दिया। इसका पुरस्कार भी अंग्रेजों ने महाराजा रघुराज सिंह को दिया। समय के साथ रीवा राज्य के इलाकेदारों व पवाईदारों ने रीवा दरबार को सहयोग न दिया। फलतः भूमि से राजस्व की उगाही क्षीण पड़ गई। राज्य की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। विवश होकर महाराजा रघुराज सिंह को अंग्रेजों से ऋण लेना पड़ा। अन्ततः रघुराज सिंह ने राज्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ब्रिटिश शासन को सौंपकर इलाकेदारों व पवाईदारों की रही सही सद्भावना से भी राज्य को वंचित कर दिया। रघुराज सिंह ब्रिटिश शासन के पेन्शनर बन गए और रीवा दरबार ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में आ गया। ऐसी स्थिति में रीवा राज्य के इलाकेदारों व पवाईदारों की नजर में रीवा दरबार की महत्त

शून्य सही हो गई। महाराजा वेंकटरमण सिंह को पवाईदारों की सोच में आया यह परिवर्तन खटकने लगा। अतः महाराजा वेंकटरमण सिंह ने अपने शासन काल में दो बार रूपकार प्रकाशित करवाया। इन रूपकारों का आशय यह था कि सभी प्रकार पवाइयों में सेवाभार लगाया जा सकता है। पवाईदारों द्वारा यदि सेवा नहीं अदा की जाती है तो पाट सनद अथवा हुक्म की शर्ते तोड़ी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि महाराजा गुलाब सिंह 3 पिता वेंकटरमण सिंह के रूपकारों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए दिनांक 29 मार्च 1928 ई0 को इन्हें पुनः जारी किया। "सब प्रकार की पवाइयों में सेवा लगाई जा सकती है। सेवा लगाने से उनका रूप बलकर जागीर की तरह हो जाता है। जागीर तथा ववाईयाँ किसी भी समय जप्त की जा सकती है। यदि सेवा नहीं जाती अथवा जब सेवा की आवश्यकता नहीं होती या पाट, सनद या हुक्म की शर्तें तोड़ी जाती हैं चूँकि अब लड़ाई का समय नहीं है और न लम्बा जमा या तीज त्योहारी सेवा कि जरूरत है, इस कारण कोई भी इलाका किसी भी समय जब्त किया जा सकता है।

रीवा राज्य के बघेल राजाओं की अर्थव्यवस्था से संबंधी नीतियों के आंकड़ें व दस्तावेज इधर-उधर बिखरे हैं या कि प्रकाशित ही नहीं है। इन दस्तावेजों को एकत्रित कर सुगम, सुसंगत प्रमाणित, समचीन बनाने के लिए शोध प्रविधि की समीक्षात्मक विधि को अपनाया जायेगा|

सदर्भ ग्रन्थ सूची:-

**1. मौलिक स्त्रोत**

**बही खाते-**

1. पल्टीराम वानी वि० सवत् — 1813 से 1870
2. समनराम वानी वि० संवत् — 1896 से 1940
3. भारतदीन वानी वि० स० —- 1940 से 1978
4. ब्रजभूषण वानी वि०स० — 1978 से 1984
5. त्रिवेणी वानी वि०स० — 1958 से 1975

क- अजवेश महापात्र — बघेल वंशावली — सरस्वती भण्डार (किला) रीवा में सुरक्षित रचना काल 1835 ई0

ख- धर्मदास - वीर सिंह बोध — सरस्वती भण्डार (किला) की पाण्डुलिपि, रचना काल 1560 ई० लगभग

**एकौत्रा तथा शिलालेख:-**

- *अजवेश — एकौत्रा बान्धवगढ़ - बघेली में 1731 के लगभग लिखा गया, रीवा किला पुस्तकालय में सुरक्षित।*
- *रामचन्द्र बघेल - एकौत्रा 1583 - 84 राजा रामचन्द्र बघेल के राज्य की जमाबन्दी विवरण किला रीवा।*
- *गहोरा शिलालेख - इलाहाबाद संग्रहालय में काल - 1360 ई0 |*
- *गोबरी शिलालेख - गोबरी, जिला सतना में 1360 ई0 का तुलसी संग्रहालय रामवन।*
- *सनई शिलालेख — अमरपाटन - जिला सतना 1661 ई० तुलसी संग्रहालय रामवन*
- *मौलवी रहमान अली : तवारीख - ए - बघेलखण्ड (पाण्डुलिपि)*
- *मौलवी रहमान अली : यादगार - ए - रोजगार (पाण्डुलिपि)*